[1]नियम 21क : रजिस्ट्रीकरण का निलंबन

(1) जहां किसी व्यक्ति ने नियम 20 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने का आवेदन किया है, वहां नियम 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की कार्यवाहियों की पूर्णता के लंबित रहने के दौरान, आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से या उस तारीख, जिसको कि रद्दकरण चाहा गया है, जो भी पश्चात् की हो, से रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया गया समझा जाएगा।

(2) जहां किसी समुचित अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 या नियम 21 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के दायित्वाधीन है, [2]**[**.....**]** नियम 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की कार्यवाहियों की पूर्णता के लंबित रहने के दौरान, वह ऐसे व्यक्ति का उस तारीख से प्रभावी, जो कि इसके द्वारा अवधारित की जाए, रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर सकेगा।

[3]**[(2क)** जहां–

(क) धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की तुलना **प्ररूप जीएसटीआर–1** में प्रस्तुत [4]**[**प्ररूप जीएसटीआर–1क में यथा संशोधित, यदि कोई हों**]** किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे या उसके आपूर्तिकर्ता के द्वारा उनके **प्ररूप जीएसटीआर–1** में [5]**[**या पूर्व कर अवधि, यदि कोई हों के प्ररूप जीएसटीआर–1क में**]** प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित आवक प्रदायों के ब्यौरे, या ऐसे अन्य विशलेषण, जो परिषद की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता हो कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, या

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को उक्त अंतर और विसंगतियों या अननुपालनों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, **प्ररूप जीएसटी आरईजी–31** में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई– मेल पते, या समय–समय पर संशोधित पते पर इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा नियम 21क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

2 अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा ''उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

3 अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा उपनियम (2क) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''[A]**[(2क)** जहां, धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों की तुलना –

(क) प्ररूप जीएसटीआर–1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे(या

(ख) उसके आपूर्तिकर्ता के द्वारा उनके **प्ररूप जीएसटीआर–1** में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित आवक प्रदायों के ब्यौरे,

या ऐसे अन्य विश्लेषण, जो परिषद् की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उस व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, तो उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को, उक्त अंतर और विसंगतियों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, **प्ररूप जीएसटी आरईजी–31** में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई–मेल पते, या समय–समय पर संशोधित पते पर, इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।**]**

A अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा उपनियम (2क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

4 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

5 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (1) या उपनियम (2) [6]**[**या उपनियम (2क)**]** के अधीन निलंबित किया गया है, निलंबन की कालावधि के दौरान कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा और धारा 39 के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

[7]**[स्पष्टीकरण–**इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, ''कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा'' से यह अभिप्रेत होगा कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा और तदनुसार निलंबन की अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर कर प्रभार नहीं करेगा।**]**

[8]**[(3क)** ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (2) या उपनियम (2क) के अधीन निलंबित कर दिया गया हो, उसके रजिस्ट्रीकरण के निलंबित रहने के अवधि के दौरान, धारा 54 के अधीन कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।**]**

(4) नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा कार्यवाहियों के पूर्ण हो जाने पर उपनियम (1) या उपनियम (2) [9]**[**या उपनियम (2क)**]** के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण का निलंबन प्रतिसंहरित हुआ समझा जाएगा और ऐसा प्रतिसंहरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को ऐसा निलंबन प्रभावी हुआ था।

[10]**[परन्तु** इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को समुचित अधिकारी प्रतिसंहरण कर सकता है, रद्दीकरण की प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय यदि वह उचित समझता है तो।**]**

[11]**[परन्तु यह और** कि जहां रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (2क) के अधीन निलंबित किया गया है और रजिस्ट्रीकरण, नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा पहले से ही रद्द नहीं किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण का निलंबन सभी लंबित विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने पर वापस लिया गया समझा जाएगा;**]**

[12]**[परन्तु यह भी** कि जहां नियम 10क के उपबंधों के उल्लघंन के लिए उपनियम (2क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण को निलंबित किया गया है और नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को पहले से ही रद्द नहीं किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को नियम 10क के उपबंधों के अनुपालन में प्रतिसंहरण किया हुआ माना जाएगा।**]**

[13]**[(5)** जहां रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के प्रतिसंहरण को प्रभावी करने वाला कोई आदेश पारित हुआ है, वहां निलंबन की अवधि के दौरान और उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के दौरान किए

---

6 अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

7 अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019)।

8 अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा उपनियम (3क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

9 अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

10 अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

11 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा द्वितियक परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

12 अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा तृतीयक परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।

13 अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (5) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019)।

गए प्रदायों के संबंध में धारा 31 की उपधारा (3) का खंड (क) और धारा 40 के उपबंध लागू होंगे ।]